

सं0 14034/50/2010-रा0भा0 (प्रशि0)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्रश्न-निर्धारकों, परीक्षकों, उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांककों आदि को मानदेय/पारिश्रमिक प्रदान करना।

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्रश्न-निर्धारकों, परीक्षकों, उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांककों आदि को देय मानदेय/पारिश्रमिक की दरों के संशोधन से संबंधित मामला काफी समय से विचाराधीन रहा है। अब यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में नियुक्त प्रश्न-निर्धारकों, परीक्षकों, उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांककों आदि को देय मानदेय/पारिश्रमिक की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्र.सं.	कार्य	मानदेय/पारिश्रमिक की दर
1.	प्रश्न-पत्रों का निर्धारण (हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए)	रु0 350/- प्रति प्रश्न-पत्र
2.	हिंदी टंकण/आशुलिपि परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों का निर्धारण	रु0 250/- प्रति प्रश्न-पत्र
3.	प्रश्न पत्रों का परिमार्जन (मॉडरेशन)	रु0 100/- प्रति प्रश्न-पत्र
4.	प्रूफ रीडिंग (हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं हिंदी टंकण/ आशुलिपि परीक्षाओं के लिए)	रु0 80/- प्रति प्रश्न-पत्र
5.	श्रुतिलेख	रु0 100/- प्रति प्रश्न-पत्र
6.	परीक्षा केंद्रों के अधीक्षक	रु0 200/- प्रति सत्र
7.	निरीक्षक	रु0 150/- प्रति सत्र
8.	परीक्षा केंद्रों पर लिपिक	रु0 100/- प्रति सत्र
9.	परीक्षा केंद्रों पर चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप डी) कर्मचारी	रु0 75/- प्रति सत्र
10.	मुख्य परीक्षक	रु0 200/- प्रति उप निरीक्षक
11.	उत्तर पुस्तिकाओं (हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) का मूल्यांकन	रु0 07/- प्रति उत्तरपुस्तिका
12.	साक्षात्कार	100/- रु0
13.	परिणामों को सारणीबद्ध करना	100/- रु0
14.	परिणामों की दुतरफा-पड़ताल (क्रास चैकिंग)	75/- रु0
15.	पत्राचार माध्यम से किए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं (ऑन्सर किट) का मूल्यांकन	रु0 07(प्रति उत्तर पुस्तिका)

2. उपर्युक्त दरें इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगी ।
3. यह इस विभाग के दिनांक 4 जुलाई, 2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/52/2000- रा0भा0 (प्रशि0)/2247 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा एकीकृत वित्त प्रभाग, वित्त-||, गृह मंत्रालय के दिनांक 22.12.2010 एवं 19.01.2011 के नोट सं सी एफ 76089/ए एस एंड एफ ए (एच) के अंतर्गत दी गयी उनकी सहमति से जारी किया जाता है ।



(सुधीर कुमार मल्होत्रा)
निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
2. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय), गृह मंत्रालय, सी-1 हटमेंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली।
4. सभी उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ।
5. सभी सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान।
6. एकीकृत वित्त प्रभाग, वित्त-||, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 22.12.2010 एवं 19.01.2011 के नोट सं सी एफ 76089/ए एस एंड एफ ए (एच) के संदर्भ में।
7. एन आई सी, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।
8. गार्ड फाइल ।